राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल संदर्भ संख्या 3/2022

बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड सी/ओ पी.एल. मोटर्स लिमिटेड, भगवती भवन, एमआई रोड, जयपुर अपने शाखा प्रभारी श्री जी.जी. शेटे के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. रघुनाथ (मृतक), उनके कानूनी प्रतिनिधि।
2. महेश कुमावत पुत्र (स्वर्गीय) श्री रघुनाथ, निवासी ढाणी रामबाग, वार्ड नंबर 70 वीकी एरिया, गांव नींदढ़, जिला जयपुर
3. सत्येन्द्र कुमावत पुत्र (स्वर्गीय) श्री रघुनाथ, निवासी ढाणी रामबाग, वार्ड नं. 70 वीकी एरिया, ग्राम नींदढ़, जिला जयपुर
4. किशनगोपाल पुत्र श्री. तुलसीराम, निवासी ग्राम मीना वाला, कनकपुरा, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : सुश्री सुरुचि कासलीवाल
श्री विक्रम सिंह
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री अभिषेक शर्मा

माननीय मुख्य जस्टिस श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
माननीय जस्टिस श्री आशुतोष कुमार

आदेश

रिपोर्टयोग्य
07/10/2024

1. सुना।

2. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के फैसले और मुआवजे के भुगतान के प्रति उसकी देनदारी को चुनौती देने वाली फाइनेंसर द्वारा दायर अपील पर फैसला करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि **एसबी सिविल विविध अपील संख्या 439/2002-बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड बनाम श्रीमती प्रेम एवं अन्य** में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, **गोदावरी फाइनेंस कंपनी बनाम डेगाला सत्यनारायणम्मा एवं अन्य, (2008) 5 एससीसी 107** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून

(29/05/2025 को 02:34:04 बजे डाउनलोड किया गया)

और **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम रेशमा एवं अन्य, (2015) 3 एससीसी 679** में रिपोर्ट किए गए मामले में बाद में दिए गए आधिकारिक फैसले के विपरीत प्रतीत होता है। तदनुसार, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिए जाने के लिए संदर्भित किया गया है:-

> "(i) क्या एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या 439/2002 में समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 11.04.2012 का आदेश **गोदावरी फाइनेंस कंपनी (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 और 168 के तहत निहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है?
>
> (ii) क्या इस अपील पर **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम रेशमा (सुप्रा)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है, जो इस न्यायालय के समन्वय एकल पीठ द्वारा दिनांक 11.04.2012 के आदेश के तहत लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है, जबकि उसी विवादित निर्णय और दिनांक 10.08.2000 के पुरस्कार के खिलाफ एसबीसीएमए संख्या 439/2002 पर निर्णय दिया गया था, जो अंतिम हो गया है?

3. अपीलार्थी-वित्तपोषक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बजाज **ऑटो फाइनेंस लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुचित है, क्योंकि यह **गोदावरी फाइनेंस कंपनी (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के विपरीत है। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून है और सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का अन्य प्रस्तुतीकरण यह है कि बाद में भी, **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने **गोदावरी फाइनेंस कंपनी (सुप्रा)** के मामले में उल्लिखित उपरोक्त कानूनी स्थिति को दोहराया है, कि किराया-खरीद समझौते के मामले में, वित्तपोषक को आमतौर पर मालिक के रूप में नहीं माना जाता है और यह वह व्यक्ति है जो वाहन के कब्जे और नियंत्रण में है, न कि वित्तपोषक जो मोटर दुर्घटना के लिए नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने **एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या 439/2002-बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड बनाम श्रीमती प्रेम एवं अन्य** के मामले में

(29/05/2025 को 02:34:04 बजे डाउनलोड किया गया)

दिनांक 11.04.2012 के आदेश द्वारा वित्तपोषक/अपीलकर्ता पर दायित्व निर्धारित करने वाले निर्णय को बरकरार रखा। निर्णय इस प्रकार था:-

> ".....अपीलकर्ता ने मामले में कोई विरोध नहीं किया। इतने लंबे समय के बाद, अपीलकर्ता ने पहली बार इस अदालत के समक्ष दलीलें रखी हैं। भले ही स्कूटर उच्च खरीद के आधार पर बेचा गया हो, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र अभी भी अपीलकर्ता के नाम पर था और यदि वाहन का बीमा नहीं था, तो वह मुआवज़ा देने के अपने दायित्व से बच नहीं सकता.....।"

विद्वान एकल न्यायाधीश का मत था कि भले ही वाहन को किराया-खरीद के आधार पर बेचा गया हो, क्योंकि वाहन का पंजीकरण अभी भी वित्तपोषक/अपीलकर्ता के नाम पर था, यदि वाहन का बीमा नहीं था, तो वह मुआवजे के भुगतान के लिए अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय **गोदावरी फाइनेंस कंपनी (सुप्रा)** के मामले में किराया-खरीद वाहन के मामले में फाइनेंसर की देयता से संबंधित एक मुद्दे पर विचार कर रहा था, जिसमें फाइनेंसर का नाम पंजीकरण पुस्तिका में मालिक के रूप में शामिल किया गया था। यह एक ऐसा मामला था जहां मालिक एक निजी व्यक्ति था और वाहन उसके द्वारा खरीदा गया था, जिसे फाइनेंस कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया गया था। वाहन फाइनेंसर के साथ 06.02.1995 से किराया-खरीद समझौते के तहत रखा गया था। हालांकि बाद में 10.11.1995 को समझौता रद्द कर दिया गया था, इस बीच, वाहन 29.05.1995 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मृतक के दावेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए वाहन के मालिक, चालक और बीमा कंपनी के साथ फाइनेंसर को उत्तरदायी ठहराया। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 और विभिन्न अन्य निर्णयों में निहित प्रावधानों की वैधानिक योजना की जाँच की। यह निर्णय निम्नलिखित रूप से प्रासंगिक था:-

> **"13.** ऐसे मोटर वाहन के मामले में जो किराया-खरीद समझौते के अधीन है, वित्तपोषक को सामान्यत मालिक नहीं माना जा सकता। वाहन का स्वामी होने के नाते वित्तपोषक नहीं, बल्कि वाहन का स्वामी व्यक्ति ही मोटर दुर्घटना के लिए हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा।"

(29/05/2025 को 02:34:04 बजे डाउनलोड किया गया)

6. **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में बाद के निर्णय में, इस मुद्दे पर फिर से विचार किया गया और कानूनी स्थिति, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनके प्रभुत्व द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था, निम्नानुसार थी: -

> **"22.** वर्तमान मामले में, जैसा कि तथ्य सामने आए हैं, अपीलकर्ता बैंक ने वाहन की खरीद के लिए मालिक को वित्तपोषित किया था और मालिक ने बैंक के साथ एक बंधक समझौता किया था। उधारकर्ता पर वाहन का बीमा कराने का प्रारंभिक दायित्व था, लेकिन बीमा के बिना उसने वाहन को सड़क पर चलाया और दुर्घटना हो गई। यदि वाहन का बीमा होता, तो बीमा कंपनी उत्तरदायी होती, मालिक नहीं। इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं है कि वाहन बंधक समझौते का विषय था और प्रतिवादी 2 के कब्जे और नियंत्रण में था। उच्च न्यायालय ने मुख्य निर्णय के साथ-साथ इस समीक्षा में भी कार्यवाही की है कि वित्तपोषक मालिक के स्थान पर आता है। हमारी सुविचारित राय में, कचराजी रायमलजी पर भरोसा करना अनुचित था क्योंकि वर्तमान मामले में सभी दस्तावेज बैंक द्वारा दायर किए गए थे। उक्त मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने किराया-खरीद समझौते से अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच संबंधों पर संदेह किया था। जो भी हो, उक्त मामला अपने तथ्यों पर आधारित था। कैलाश नाथ कोठारी के फैसले में, न्यायालय ने वाहन के नियंत्रण और कब्जे में रहने वाले 'मालिक' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निगम पर दायित्व तय किया। दीपा देवी के फैसले का भी कुछ ऐसा ही प्रभाव है। यह कहा जाए कि उक्त मामले में न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य दावेदार को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, न कि वाहन का पंजीकृत मालिक और बीमा कंपनी। शकुंतला मामले में, विद्वान न्यायाधीशों ने दीपा देवी के अनुपात को इस आधार पर अलग किया कि यह उसके विशेष तथ्यों पर टिका है और बीमाकर्ता पर दायित्व तय किया। कुलसुम में, कैलाश नाथ कोठारी में बताए गए सिद्धांत को अलग किया गया और इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि संबंधित समय पर, विचाराधीन वाहन का उसके साथ बीमा किया गया था और पॉलिसी पूरी तरह लागू थी और इसलिए, बीमाकर्ता मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी था।
>
> **23.** उपरोक्त मामलों में वर्णित सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर, यह पाया जाता है कि एक सामान्य सूत्र यह है कि बंधक समझौते के तहत वाहन के कब्जे वाले व्यक्ति को ही मालिक माना गया है। इस बात पर ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वाहन बीमित है, तो बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है, जब तक कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन न हो, जिसके तहत बीमाकर्ता दोषमुक्ति की मांग कर सकता है।

(29/05/2025 को 02:34:04 बजे डाउनलोड किया गया)

24. पूर्ण कला देवी मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से माना है कि दृष्टिबंधक समझौते के तहत वाहन के नियंत्रण और कब्जे में रहने वाले व्यक्ति को ही मालिक माना जाना चाहिए, न कि केवल पंजीकृत मालिक और इसके बाद न्यायालय ने विधायी मंशा को ध्यान में रखा और फैसला दिया कि यदि वाहन पंजीकृत मालिक के कब्जे और नियंत्रण में नहीं है तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 146 का संदर्भ है कि कोई भी व्यक्ति बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने देगा या करने देगा क्योंकि यह 1988 के अधिनियम के तहत अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता का पूर्ववर्ती हितधारक, सेंचुरियन बैंक, प्रतिवादी 2 के साथ पंजीकृत मालिक था। प्रतिवादी 2 वाहन के नियंत्रण और कब्जे में था। उसने बीमा कंपनी को पूरा प्रीमियम चुकाए बिना डीलर से वाहन ले लिया था और इस प्रकार वाहन का बीमा करा लिया था। उच्च न्यायालय ने ग़लती से यह राय व्यक्त की है कि यदि उधारकर्ता वाहन का बीमा कराने में विफल रहता है तो वित्तपोषक की ज़िम्मेदारी है कि वह वाहन का बीमा कराए। दृष्टिबंधक समझौते में उक्त शर्त यह नहीं बताती है कि अपीलकर्ता वित्तपोषक मालिक बन गया था और वाहन का नियंत्रण और कब्ज़ा उसके पास था। बीमा का पूरा भुगतान किए बिना डीलर से वाहन लेना प्रतिवादी 2 की पूर्ण गलती थी। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है कि यह तथ्य अपीलकर्ता वित्तपोषक को ज्ञात था या यह वित्तपोषक की मिलीभगत से किया गया था। जब विधायिका का आशय बिल्कुल स्पष्ट है, तो वाहन के पंजीकृत मालिक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए यदि वाहन उसके कब्जे और नियंत्रण में नहीं है और रिकॉर्ड पर सबूत है कि प्रतिवादी 2 ने बीमा के बिना, 1988 के अधिनियम की धारा 146 में निहित वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाया अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई सराहना, तथ्य और कानून दोनों के आधार पर, पूरी तरह से अस्थिर है।

25. उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए, हम अपील स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि पंचाट को संतुष्ट करने का दायित्व स्वामी, प्रतिवादी 2 का है, न कि वित्तपोषक का, और तदनुसार पंचाट में दिए गए निर्देश का वह भाग अपास्त किया जाता है। हालाँकि, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वीकार किया है, राशि की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, कानूनी स्थिति अब एकीकृत नहीं है और इसलिए, संदर्भित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं: -

<u>प्रश्न संख्या **(i)** का उत्तर**:**</u>

(29/05/2025 को 02:34:04 बजे डाउनलोड किया गया)

एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या 439/2002 में पारित दिनांक 11.04.2012 का आदेश अनुचित है और **गोदावरी फाइनेंस कंपनी बनाम डेगाला सत्यनारायणम्मा एवं अन्य** तथा **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम रेशमा एवं अन्य** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून की अज्ञानता के कारण सही कानूनी स्थिति निर्धारित नहीं करता है, जिसमें यह माना गया है कि किराया-खरीद समझौते के मामले में, दृष्टिबंधक समझौते के तहत वाहन के कब्जे वाले व्यक्ति को मालिक के रूप में माना जाना चाहिए और वित्तपोषक को मालिक नहीं माना जा सकता है और इसलिए, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

<u>प्रश्न संख्या **(ii)** का उत्तर**:**</u>

अपील, जिसमें से वर्तमान संदर्भ उत्पन्न हुआ है, और अन्य सभी अपीलों को तदनुसार **गोदावरी फाइनेंस कंपनी बनाम डेगाला सत्यनारायणम्मा और अन्य तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम रेशमा और अन्य** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार तय किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार संदर्भ का उत्तर दिया गया है।

9. अब मामले के अभिलेखों को अपील के गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(आशुतोष कुमार), जे (मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

रजत-राहुल/38

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Tarun Mehra

(29/05/2025 को 02:34:04 बजे डाउनलोड किया गया)

Advocate

(29/05/2025 को 02:34:04 बजे डाउनलोड किया गया)